

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

कमांक:--र.रिपोर्ट.7(2)विविध/अभि/06 566-614 दिनांक 19/11/11
-- आदेश --


अभियोजन निदेशालय के रागसंख्यक आदेश कमांक 6883-928 दिनांक 5-6-07 के द्वारा अभियोजन विभाग से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने हेतु जिला स्तर पर सहायक सूचना अधिकारी व निदेशालय स्तर पर लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किये गये थे । सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जन जन को वांछित सूचना सुलभता से प्राप्त करने हेतु निदेशालय से जारी उपरोक्त आदेश को अधिकमित करते हुये, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1) के तहत जिला स्तर पर/निदेशालय स्तर पर नियमानुसार लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जाती है ।

लोक सूचना अधिकारी

अभिलेख अधिकारी

अभियोजन निदेशालय, जयपुर	उप निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)	निदेशक अभियोजन
जिलास्तर अजमेर	सहायक निदेशक अभियोजन, अजमेर	निदेशक अभियोजन
अलवर	सहायक निदेशक अभियोजन अलवर	निदेशक अभियोजन
वासवाडा	सहायक निदेशक अभियोजन वासवाडा	निदेशक अभियोजन
बॉरा	सहायक निदेशक अभियोजन बॉरा	निदेशक अभियोजन
बाडमेर	सहायक निदेशक अभियोजन बाडमेर	निदेशक अभियोजन
भरतपुर	सहायक निदेशक अभियोजन भरतपुर	निदेशक अभियोजन
भीलवाडा	सहायक निदेशक अभियोजन भीलवाडा	निदेशक अभियोजन
बीकानेर	सहायक निदेशक अभियोजन बीकानेर	निदेशक अभियोजन
बून्दी	सहायक निदेशक अभियोजन बून्दी	निदेशक अभियोजन
चित्तौडगढ़	सहायक निदेशक अभियोजन चित्तौडगढ़	निदेशक अभियोजन
चुरु	सहायक निदेशक अभियोजन चुरु	निदेशक अभियोजन
धौलपुर	सहायक निदेशक अभियोजन धौलपुर	निदेशक अभियोजन
दौसा	सहायक निदेशक अभियोजन दौसा	निदेशक अभियोजन
डूंगरपुर	सहायक निदेशक अभियोजन डूंगरपुर	निदेशक अभियोजन
श्रीगंगानगर	सहायक निदेशक अभियोजन श्रीगंगानगर	निदेशक अभियोजन
हनुमानगढ़	सहायक निदेशक अभियोजन हनुमानगढ़	निदेशक अभियोजन
जयपुर	सहायक निदेशक अभियोजन जयपुर	निदेशक अभियोजन
जैसलमेर	सहायक निदेशक अभियोजन जैसलमेर	निदेशक अभियोजन
जालौर	सहायक निदेशक अभियोजन जालौर	निदेशक अभियोजन
झालावाड	सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड	निदेशक अभियोजन
झुन्झनू	सहायक निदेशक अभियोजन झुन्झनू	निदेशक अभियोजन
जोधपुर	सहायक निदेशक अभियोजन जोधपुर	निदेशक अभियोजन
करौली	सहायक निदेशक अभियोजन करौली	निदेशक अभियोजन
कोटा	सहायक निदेशक अभियोजन कोटा	निदेशक अभियोजन
नागौर	सहायक निदेशक अभियोजन नागौर	निदेशक अभियोजन
पाली	सहायक निदेशक अभियोजन पाली	निदेशक अभियोजन
राजसमन्द	सहायक निदेशक अभियोजन राजसमन्द	निदेशक अभियोजन
सवाई माधोपुर	सहायक निदेशक अभियोजन सवाई माधोपुर	निदेशक अभियोजन
सीकर	सहायक निदेशक अभियोजन सीकर	निदेशक अभियोजन
सिरोही	सहायक निदेशक अभियोजन सिरोही	निदेशक अभियोजन
टोंक	सहायक निदेशक अभियोजन टोंक	निदेशक अभियोजन
उदयपुर	सहायक निदेशक अभियोजन उदयपुर	निदेशक अभियोजन
प्रतापगढ़	सहायक निदेशक अभियोजन प्रतापगढ़	निदेशक अभियोजन

उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(2) के प्रावधानाधीन उपखण्ड स्तर पर पदस्थापित वरिष्ठतम सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी को सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है ।


18/11/11
निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, सचिवालय ।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त प्रमुख शासन सचिव, गृह ।
3. सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर ।
4. उपाय शासन सचिव, गृह(ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
5. अनुभागाधिकारी, गृह(ग्रुप-10) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान ।
7. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन राजस्थान ।


18/11/11
निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर